

दाखल ता 18 APR 2015

महाय्यक अधिक्षक
नोहमार्ग न्यायालय, दौंड

C.C. NO.

1079
15

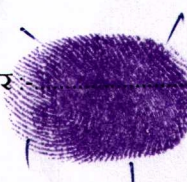
परिवाद-पत्र

मा. न्यायदण्डाधिकारी सो. प्रथमवर्ग लोहमार्ग न्यायालय, दौंड की सेवा में सविनय सादर

01. RPF थाना :- लोनी
02. मामला रजि. क्रमांक :- 332/2015.
03. धारा :- 147 रेल अधिनियम
04. घटना की दिनांक एवं समय :- दिनांक 18.04.2015 को समय 9.10 बजे
05. घटनास्थल :- रेलवे स्टेशन उमरगावा
06. फरियादी का नाम व पता :- आ. प्र. आ. 9900394 के. बी. शिव RPF/थाना/लोनी
07. संलिप्त व्यक्ती का नाम व पता :- सु. ग. 5/0 नवनाथ शेगड उम. 22 वर्ष.
पत. परेक वाडी, तरेगाव, तामाडा, जि. पुणे
08. जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
09. मा. न्यायालय में हाजिर रहने की दिनांक 18.04.2015 को समय 11.00 बजे
दिनांक व समय
10. जांच अधिकारी का नाम व पता :- सो. पा. ग. 1. भा. भा. गो. ASI/SHP/RPF/थाना/लोनी
11. घटना की संक्षिप्त हकीकत :- मा. न्यायालय की सिमा एवं रेलवे सुरक्षा बल, थाना, लोनी के कार्यक्षेत्र में दिनांक 18.04.2015 को कॉलम नं. 07 के व्यक्ती द्वारा कॉलम नं. 05 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूप से जोरदार धक्का मारकर नुकसान पहुंचाया गया।
रेल अधिनियम की धारा 147 उल्लंघन किया है। कारणवश उक्त व्यक्ती को रेल अधिनियम के तहत "नोटीस" जारी कर उचित कानुनी कार्यवाही होणे हेतु मा. न्यायालय के समक्ष उक्त मामला विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनती है कि, उक्त व्यक्ती के विरुद्ध उचित कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ती के पास से जप्त मुद्देमाल के निपटारा हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलिप्त व्यक्ती के हस्ताक्षर



संलग्न दस्तावेज

:- फरियाद, नोटीस

मे. हु. को. जा. ब्हावे.

निरीक्षक

आर. पी. एफ. थाना, लोनी
Inspector
R.P.F. Thana, Loni

कंड जम 300L
पावती 3 0348786

18 APR 2015

हस्ताक्षर आदेश
डॉ. प्र. च. दाउण्ड

पत्नी गन्हा कबूल आहे



समक्ष

OLP

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी

लोहमार्ग, दौंड,

18 APR 2015

Defendant produced before me. Plea recorded.
Also bxn. 01. The contents of Plea read
and explained in presence of which he
understood and pleaded guilty to
the Commission of K.F. Act.
Hereby convicted and Sentenced
to Pay a Fine of Rs. 300/- (I.D.B.)
and costs.

Judicial Magistrate
J.M.F.G. (Rty.) Daund

18 APR 2015

न्यायदंडाधिकारी
डॉ. प्र. च. दाउण्ड
18 APR 2015
P. F. Thane Court